



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

गैंगस्टर अधिनियम में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर आरोपी युनुस दर्जी, इसरार व ताहिर प्रत्येक को हुई 03 वर्ष के कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्तों 1-युनुस दर्जी पुत्र अलीहसन निवासी ग्राम जौहड़ी थाना बिनौली जनपद बागपत, 2-इसरार पुत्र उस्मान निवासी ग्राम हर्रा थाना सररपुर जनपद मेरठ व 3-ताहिर पुत्र अनवर निवासी पांचली थाना सररपुर जनपद मेरठ के विरुद्ध थाना दोघट पर मु0अ0सं0 166/2008 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 15.02.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त युनुस दर्जी, इसरार व ताहिर प्रत्येक को दोषी पाते हुए 03 वर्ष के कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

 @baghpatpolice

 baghpatpolice

 Baghpat Police





प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बडौत

दिनाँक 15.02.2025

थाना बडौत पुलिस ने एक अवैध मादक पदार्थ तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे 01 किलो 758 ग्राम अवैध गांजा बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध मादक पदार्थ तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा एक अवैध मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 01 किलो 758 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है ।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आरिफ पुत्र गबरुदीन निवासी ग्राम जलालपुर थाना बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 01 किलो 758 ग्राम अवैध गांजा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2- उ0नि0 यूटी श्री बिरजू शर्मा थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3- है0का0 22 अमित नागर थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना बिनौली

दिनांक 15.02.2025

थाना बिनौली पुलिस ने 03 वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के



अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार वारण्टी/ अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-नफीश पुत्र इमामुद्दीन निवासी ग्राम अंगदपुर थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 2-सतपाल पुत्र कालूराम निवासी ग्राम जौहडी थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 3-रवि पुत्र बलवीर सिंह निवासी ग्राम जौहडी थाना बिनौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विकुल कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 588 राधेश्याम थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 3-का0 1104 चक्रपाल सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना चांदीनगर

दिनांक 15.01.2025

थाना चांदीनगर पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 25 पच्चे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 25 पच्चे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद हुई है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सतीश पुत्र सुखीराम निवासी गढी कलंजरी थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

25 अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विकुल कुमार थाना चांदीनगर ।
- 2-है0का0 618 ताराचन्द्र थाना चांदीनगर ।
- 3-है0का0 378 बलराज थाना चांदीनगर ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली

दिनांक 15.02.2025

थाना छपरौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है ।



उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना छपरौली पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

महत्वपूर्ण सूचना- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी अस्लाह का प्रदर्शन न किया जाये । यदि कोई ऐसा प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

विककी उर्फ सोनू पुत्र कृष्णपाल निवासी ग्राम हलालपुर थाना छपरौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री रामअवतार सिंह थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 586 लोकेश भाटी थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 213 मोहित सैनी थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 4-का0 633 जहागीर पंवार थाना छपरौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली

दिनांक 15.02.2025

थाना छपरौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है ।



उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना छपरौली पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

महत्वपूर्ण सूचना- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी अस्लाह का प्रदर्शन न किया जाये । यदि कोई ऐसा प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

गौतम पुत्र प्रमोद निवासी ग्राम हलालपुर थाना छपरौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री अमित कुमार गोला थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 2-का0 227 अनिल कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत ।

